

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ University of Lucknow, Lucknow

Press Note 30 August 2020

Today on 30.08.2020, The Valedictory Session of 1st Dr.R.U.Singh Memorial Judgment Writing Competition has been conducted through online mode.

Prof. C.P Singh , Head & Dean, Faculty of Law, University of Lucknow welcomed the guests and applauded the students.

Chief Guest Shri.Manish Goyal, Senior Advocate, Additional Advocate General , Uttar Pradesh declared the results. He said " in the suicide mystery of late actor Sushant Singh Rajput media played an important role by uncovering the hidden truth but at the same place trial by media is not good,in the present scenario medial trial effect the process of judgment. He mentioned that "the honourable Supreme Court has overruled many of his old judgments like right to privacy." He emphasised on the free legal aid and the values of our Indian Constitution. Guest of honour Shri Kartikeya Saran thrown light upon the role of such competitions in the student's life. He said "it's really appreciable how law students crafted their knowledge, creativity and skills through this competition by maintaining the rules."

The winners of this competition are

HARINI PM & DEEPAK NS – The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, School of Excellency in law secured First Position

Second position was bagged by two teams

RITIKA RANKA- National University of Advanced Legal Studies, Kochi

JULLY SIJU & V. NYDILE- School of Law, Christ University, Banglore

Third position was secured by MUDITA GAIROLA – Rajiv Gandhi School of IP Law, IIT Kharagpur

About 72 universities across 55 universities from all over country enthusiastically participated in this competition.

Prof. Mohd. Ahmad and Dr. Mrinalini Singh of Faculty of Law, Lucknow University are also there in the session.

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ University of Lucknow, Lucknow

आज दिनांक 30 अगस्त, २०२० को लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा "प्रथम डॉ आर.यू सिंह मेमोरियल निर्णय लेखन (जजमेंट राईटिंग)प्रतियोगिता' के सम्मान समारोह का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया । अधिष्ठाता, विधि संकाय लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रो. सी.पी. सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया एवं छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री मनीष गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय,अपर महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ने परिणाम घोषित कर, बताया कि " वर्तमान समय में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है था बहुत से छुपे हुए साक्ष्यो को उजागर भी किया किन्तु मीडिया द्वारा ट्रायल सही नहीं है। मीडिया ट्रायल का प्रभाव न्याय प्रक्रिया पर भी पड़ रहा है" ।

मुख्य अतिथि ने बताया कि "उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने पुराने चल रहे प्रमुख निर्णयो को रद्द किया है जैसे कि राइट टू प्राइवैसी"।उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता संविधान के महत्वपूर्ण आदर्शों पर भी जोर डाला ।

समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिकेय सरन, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विद्यार्थि जीवन में ऐसी प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डाला तथा बताया की "विधि के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता के नियमों को उल्लंघन न करते हुए अपनी प्रतिभा तथा अपनी सोच को इस प्रतियोगिता के माध्यम से बखूबी दर्शाया है।

इस प्रतियोगिता में हारिणी पी एम और दीपक एन एस दी तमिल नाडु अम्बेडकर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एक्सेलेन्सी इन लॉ ने प्रथम स्थान , रितिका रांका एन. यू.ए. एल.एस, कोची एवं जुलय सीजू और वी. नाइडल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलोर ने द्वितीय स्थान हासिल किया। तृतीय स्थान पर मुदिता गैरोला, राजीव गांधी स्कूल ऑफ आई.पी. लॉ, आई.आई.टी खरगपुर बनी रही।

इस प्रतियोगिता में देश की विभिन्न जगहों से लगभग 55 यूनिवर्सिटी की 72 टीम ने भाग लिया। इस आयोजन में विधि संकाय विधि के प्रो० मोहम्मद अहमद एवं डॉ मृणालीनी सिंह भी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता के आयोजन में विधि संकाय विधि के छात्र अध्यक्ष सक्षम अग्रवाल, उर्मिका पांडेय तथा शिशिर यादव ने प्रमुख भूमिका निभाई।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ University of Lucknow, Lucknow

डॉ अमरजीत यादव, शिक्षक, योग, लखनऊ विश्वविद्यालय को योग विषय की राष्ट्रीय स्तर की संस्था इंडियन योग एसोसिएशन के यूपी स्टेट चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित आयुष कवच ऐप तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 में उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉ यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है।